फाइल संख्या. 145-आईटीपीओ/(1)/बीडीडी/2020

<u>इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन</u>

फरवरी 18, 2021

परिपत्र

परिपत्र दिनांक 21/04/2020, 22/06/2020, 24/07/2020, 01/09/2020 तथा 31/12/2020 के तहत प्रदान की गई रियायत को आगे बढ़ाते हुए आईटीपीओ ने प्रगति मैदान में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अन्य पक्ष मेलों के आयोजकों द्वारा कोविड-19 महामारी के चलते रद्दीकरण/पुनर्निधारण/दंड में विलंब के संदर्भ में निम्नलिखित बातों का निर्णय लिया है:

1. वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयोजित किए जाने वाले आयोजनों का बिना किसी शुल्क के एक बार पुनर्निधारण, किंतु इस शर्त पर कि आईटीपीओ को किराये के शुरू होने के 30 दिन पहले सूचित किया जाए तथा आयोजन को चालू वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही आयोजित किया जाए।

2. जनवरी 01, 2021 से मार्च 31, 2021 या आयोजन के किराये के शुरु हेने के 15 दिन पहले तक, जो भी पहले हो, वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान सभी निर्धारित अनुमोदित आयोजनों के लिए भुगतान में विलंब पर हरजाना नहीं लगाया जाएगा। (मार्च 31, 2021 के बाद आईटीपीओ द्वारा भुगतान प्राप्त करने की स्थिति में, देरी होने पर पूर्ण अवधि के लिए हरजाना लगाया जाएगा, अर्थात फरवारी 01, 2020 से मार्च 31, 2021)

3. एरिया को कम करने पर, आईटीपीओ वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली दो तिमाहियों (अप्रैल से जून तथा जुलाई से सितंबर) के दौरान निर्धारित अनुमोदित आयोजनों के लिए वास्तविक लागू हरजाने का 10 % शुल्क वसूल करेगा।

   तथापि, वित्तीय वर्ष 2021-22 में पहली और दूसरी तिमाही में निर्धारित आयोजन(नों) का रद्दीकरण होने पर, टीपीओ के पास दो विकल्प होंगे :

   i) भविष्य में बुकिंग तथा समायोजन के लिए आईटीपीओ के पास 100% अग्रिम के तुलनीय क्रेडिट नोट जारी किए जाएंगे। यदि आयोजक वास्तिविक 100% की लागू राशि से अतिरिक्त राशि जमा कराता है, तो उसके अनुरोध पर क्रेडिट नोट में लागू हरजाना राशि को परिवर्तित कर अतिरिक्त राशि को लौटा दिया जाएगा।

   या

   ii) ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन(ओं) द्वारा धन वापसी (किसी खाते के लिए जमा पत्र नहीं) का विकल्प चुनने की स्थिति में, आयोजनकर्ताओं को केवल वास्तविक लागू हरजाने का 25% काट कर आई टी पी ओ को दी गई सभी अग्रिम राशि लौटायी जाएगी ।

सुरेन्द्र कुमार

हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी और चौथी तिमाही में होने वाले अपने कार्यक्रमों के रद्दीकरण पर, क्रेडिट नोट का विकल्प नहीं होगा और आई टी पी ओ वास्तविक लागू हरजाने का 50% शुल्क लेगा तथा आई टी पी ओ को दी गई बाकी राशि लौटा दी जाएगी।

4. क्षेत्र लघुकरण पर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम दो तिमाही(अक्टूबर से दिसम्बर एवं जनवरी से मार्च) में होने वाले अपने अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए आई टी पी ओ वास्तविक लागू हरजाने का 20% शुल्क वसूल करेगा।

5. आई टी पी ओ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी एवं चतुर्थ तिमाही को बुक/ बुक होने वाले या पुनर्योजित/ पुनर्योजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए अन्य पक्ष मेला आयोजनकर्ताओं को प्रकाशित/ स्वीकृत किराए पर 10%, 5%, 2.5% तथा 'शून्य' की छूट देगा।

6. दिनांक 12 जनवरी, 2021 के ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन(ओं) के लिए संशोधित किराए के आदेश के तहत कवर न होने वाले कार्यक्रमों के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली एवं दूसरी तिमाही के लिए निर्धारित कार्यक्रमों की किराएदारी की शुरुआत से पहले मौजूदा 8 महीनों से 4 महीनों की अवधि तक भुगतान की शर्तों के पुनर्योजन पर विचार करना।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

देवेन्द्र पाल

(देवेन्द्र पाल)
उप महाप्रबंधक

सेवा में:

1. सभी अन्य पक्ष मेला आयोजनकर्ता
2. बी डी डी के सभी अधिकारी/पदाधिकारी
3. आई टी पी ओ के सभी विभागाध्यक्ष
4. वित्त अनुभाग (राजस्व विभाग)

सूचनार्थ प्रति:

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के निजी सचिव
2. कार्यकारी निदेशक के निजी सचिव

सुरेन्द्र कुमार